मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

शुक्रवार, दिनांक 10 जनवरी, 2014 (पौष 20,1935)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.34 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. शपथ / प्रतिज्ञान

अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि जिन माननीय सदस्यों ने शपथ नहीं ली है, या प्रतिज्ञान नहीं किया है, वे शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर करेंगे और सभा में अपना स्थान ग्रहण करेंगे.

तदनुसार 5 माननीय सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण / प्रतिज्ञान किया गया तथा सदस्य नामावली में हस्ताक्षर किये गये.

2. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

सुश्री कुसुम सिंह महदेले, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार, निम्नलिखित अध्यादेश पटल पर रखे:-

(1) मध्यप्रदेश विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (क्रमांक 4 सन् 2013)

(2) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013)

3. उपाध्यक्ष का निर्वाचन

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए प्रस्ताव की 3 सूचनाएं दिनांक 9 जनवरी, 2014 को मध्याह्न 12.00 बजे तक प्राप्त हुई हैं, तदनुसार:-

(1) श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि - 'डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाये.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया.

(2) श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष ने प्रस्ताव किया कि - 'डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाये'.

श्री मुकेश नायक, सदस्य इस प्रस्ताव के समर्थक थे, लेकिन वे उपस्थित नहीं थे.

(3) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि - 'डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाये'.

श्री के.पी. सिंह, सदस्य ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया.

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ.

अध्यक्ष महोदय ने डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह को सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित घोषित किया.

4. माननीय उपाध्यक्ष महोदय का स्वागत

श्री शिवराज सिंह चौहान, सदन के नेता (मुख्यमंत्री महोदय), मंत्रीगण तथा पक्ष विपक्ष के सदस्यगण द्वारा नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष महोदय को उनके आसन पर जाकर बधाई दी गई. तत्पश्चात्, सदन के नेता, सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष तथा अध्यक्ष महोदय द्वारा डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह, उपाध्यक्ष महोदय को निर्वाचन पर अपनी ओर से एवं संपूर्ण सदन की ओर से बधाई दी गई. नव निर्वाचित उपाध्यक्ष द्वारा उनके प्रति व्यक्त उदगारों के लिए सदन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए संक्षिप्त उदबोधन दिया गया.

5. राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा के विगत सत्र में पारित निम्नलिखित 11 विधेयकों को माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है, जिनके नाम दर्शाने वाले विवरण की प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित कर दी गई है. इनके नाम कार्यवाही में मुद्रित किए जायेंगे:-

क्र.	शासकीय विधेयक	विधेयक क्रमांक	अधिनियम क्रमांक
1.	मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2013	(क्रमांक 24 सन् 2013)	क्रमांक 25 सन् 2013
2.	मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन विधेयक, 2013	(क्रमांक 20 सन् 2013)	क्रमांक 26 सन् 2013
3.	मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013	(क्रमांक 13 सन् 2013)	क्रमांक 27 सन् 2013
4.	मध्यप्रदेश जल विनियमन विधेयक, 2013	(क्रमांक 14 सन् 2013)	क्रमांक 28 सन् 2013
5.	मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2013	(क्रमांक 16 सन् 2013)	क्रमांक 29 सन् 2013
6.	मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2013	(क्रमांक 22 सन् 2013)	क्रमांक 30 सन् 2013
7.	मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क विधिमान्यकरण विधेयक, 2013	(क्रमांक 23 सन् 2013)	क्रमांक 31 सन् 2013
8.	मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) संशोधन विधेयक, 2013	(क्रमांक 15 सन् 2013)	क्रमांक 32 सन् 2013
9.	मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2013	(क्रमांक 17 सन् 2013)	क्रमांक 33 सन् 2013
10.	मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2013	(क्रमांक 19 सन् 2013)	क्रमांक 34 सन् 2013
11.	मध्यप्रदेश सार्वजनिक स्थान (धार्मिक भवन एवं गतिविधियों का विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013	(क्रमांक 21 सन् 2013)	क्रमांक 35 सन् 2013

6. विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 144 - विदिशा से निर्वाचित सदस्य, श्री शिवराज सिंह चौहान ने विधान सभा के अपने स्थान से त्याग पत्र दे दिया है, जिसे उनके द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2013 को स्वीकृत किया गया है.

7. अध्यक्षीय व्यवस्था

नवगठित विधान सभा के प्रथम सत्र में, माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा स्थगन एवं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लेने की मांग विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा शासकीय विधेयक के पुर:स्थापन हेतु संसदीय कार्य मंत्री का नाम पुकारा गया. श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष द्वारा व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से व्यावसायिक परीक्षा मण्डल मामले पर चर्चा की मांग करने पर अध्यक्ष महोदय द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि - 'व्यवस्था का प्रश्न आप उस विषय पर उठा सकते हैं, जो चल रहा हो. उसके अलावा व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है. आप वरिष्ठ सदस्य हैं. नेता प्रतिपक्ष जी को बोलने का अधिकार है, किन्तु यह व्यवस्था का प्रश्न का विषय नहीं है.'

सर्वश्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष तथा रामनिवास रावत, सदस्य द्वारा 'लोक महत्व के विषयों पर स्थगन प्रस्ताव' सम्बन्धी मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 53 से 56 (पृष्ठ-27, 28) तथा संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार (महेश्वर नाथ कौल एवं श्यामलाल शकधर) का उल्लेख करके इसी सत्र में स्थगन एवं ध्यान आकर्षण पर चर्चा की मांग करते हुए आसंदी से व्यवस्था देने की मांग की गई.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार के पृष्ठ 197 एवं मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 21 (पृष्ठ - 12) को उद्धरित करते हुए इस मांग का विरोध किया गया तथा प्रतिपक्ष से कार्यवाही में सहयोग प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया.

श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री तथा डॉ. गौरी शंकर शेजवार, वन मंत्री द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि सदन के जारी कार्यक्रम में प्रश्नोत्तर, स्थगन एवं ध्यानाकर्षण आदि कार्य नहीं हैं क्योंकि यह अल्पावधि सत्र परम्परानुसार मुख्यत: शपथ ग्रहण, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण तथा अनुपूरक अनुमान पर चर्चा हेतु आहूत किया गया है. अत: माननीय सदस्यगण इन विषयों पर अभिभाषण एवं अनुपूरक मांगों पर चर्चा के माध्यम से अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं. साथ ही, इसी सदन में, पूर्व में भी चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, पूर्व सदस्य के व्यवस्था के प्रश्न पर आसंदी से यही व्यवस्था दी जा चुकी है. अत: नियमानुसार इस विषय को पुन: नहीं उठाया जा सकता है.

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह व्यवस्था की गई कि- "माननीय नेता प्रतिपक्ष, सदस्यगण और मंत्री महोदय ने भी अपनी बात रख दी है. जैसा कि सदन को विदित है कि यह नवगठित विधानसभा का प्रथम सत्र है, जो मुख्यत: माननीय सदस्यों की शपथ, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण तथा आवश्यक शासकीय कार्यों के संपादन हेतु आहूत किया गया है. इस सत्र के लिए जारी की गई अधिसूचना में जो कार्य निर्धारित हैं, उनमें स्थगन प्रस्ताव एवं ध्यानाकर्षण लेना प्रस्तावित नहीं हैं. माननीय सदस्यों को जनहित के विषयों के लिए माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा के समय विचार रखने के लिए अवसर हैं, जिसमें वे इसका उल्लेख कर सकते हैं. इसलिए माननीय सदस्यों के अधिकारों का कहीं हनन नहीं हो रहा है. सदन के समक्ष इस तरह के विषय भी लंबित नहीं हैं. विगत त्रयोदश विधानसभा के प्रथम सत्र के समय भी इसी तरह के विषय पर, औचित्य के प्रश्न पर आसंदी से यह व्यवस्था दी गई थी. यह पूर्व उदाहरण भी है. इसलिए आपका औचित्य का प्रश्न अग्राह्य किया जाता है. "

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 1 सन् 2014) विधेयक को सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(2) श्री उमाशंकर गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2014 (क्रमांक 2 सन् 2014) को सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

9. वर्ष 2013-14 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन.

श्री जयन्त मलैया, वित्त मंत्री ने वर्ष 2013-14 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया. अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर चर्चा और मतदान के लिए दिनांक 11 जनवरी, 2014 को 2 घण्टे का समय नियत किया गया.

10. वर्ष 1999-2000, वर्ष 2000-01 एवं वर्ष 2002-03 के आधिक्यों के विवरण का उपस्थापन.

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार, वर्ष 1999-2000, वर्ष 2000-01 एवं वर्ष 2002-03 के मतदत्त अनुदानों और भारित विनियोगों पर आधिक्यों का विवरण उपस्थापित किया.

11. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित के निधन पर सदन की ओर से शोकोदगार व्यक्त किये गये: -

(1) श्री ईश्वरदास रोहाणी, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा
(2) श्री शीशराम ओला, भारत के केन्द्रीय मंत्री
(3) श्री नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति
(4) श्री अरूण नेहरू, भारत के भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री
(5) श्री मोहन धारिया, भारत के भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री
(6) श्री खुर्शीद आलम खां, भारत के भूतपूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री
(7) श्री दिलीप सिंह जूदेव, भारत के भूतपूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री
(8) श्री हरि किशोर सिंह, भारत के भूतपूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री
(9) श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, भारत के भूतपूर्व केन्द्रीय उपमंत्री
(10) श्री बापूसिंह यादव, मध्यप्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य
(11) श्री विट्ठल भाई पटेल, मध्यप्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य
(12) श्री रामनरेश त्रिपाठी, मध्यप्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य
(13) श्री कपिलदेव नारायण सिंह, मध्यप्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य
(14) श्री ईश्वर सिंह, मध्यप्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य
(15) श्री गोविन्द प्रसाद गीते, मध्यप्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य
(16) श्री राघवराम चौधरी, मध्यप्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य
(17) श्री रामहित गुप्त, मध्यप्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य
(18) श्री काशीप्रसाद बागरी, मध्यप्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य
(19) श्री विष्णु चरण जोशी, मध्यप्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य
(20) श्री रायसिंह भदौरिया, मध्यप्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य
(21) श्री गुरूबक्श अतुलकर, मध्यप्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य
(22) श्री प्राण, सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता
(23) श्री मन्नाडे, सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक
(24) श्री फारूख शेख, फिल्म कलाकार
(25) दतिया के रतनगढ़ माता मंदिर के पास सिंध नदी के पुल पर हुई भगदड़ में दिवंगत व्यक्ति.

सर्वश्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष, कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री एवं यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य ने भी शोकोदगार व्यक्त किये.

सदन द्वारा दो मिनिट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर शोक संतप्तजन के लिये संवेदना प्रकट की गई.

दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही मध्याह्न 12.10 बजे, शनिवार, दिनांक 11 जनवरी, 2014 (पौष 21, 1935) के पूर्वाह्न 10:30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भोपाल:
दिनांक:- 10 जनवरी, 2014

राजकुमार पांडे,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा